11/9/19

पत्रावली पेश हुई अभिभावक प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है। अभिभावक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काडीसहना पं०स० काडीसहना में खाता सं० 739 कुल किता 8 रकबा 2.08 है भूमि उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त में विरासत से लगातार चली आ रही है। प्रार्थी खेती का कार्य कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर रहा है विपक्षी नं. 4 के यहा भूमि रहन रखी एवं विपक्षी नं. 5 लोन होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्र० सं० 754/18
देवीलाल v/s ओमप्रकाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विपक्षीगण एक व दो आये दिन मुझ प्रार्थी एवं मेरी पत्नी लाडी देवी के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते है। मुझे कृषि उपज बोने, खेती का कार्य करने में बाधा कारित करते है तथा खेती के कार्य में भी आने जाने एवं फसल बोते समय खेत के हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा रहते है। विपक्षी एक व दो ने लड़ाई झगड़ा कर मुझ प्रार्थी की निजी आबादी का स्थित तिलक नगर भीलवाड़ा में स्थित मकान की किवाड़िया निकाले और निजी डोलाख रुपये खर्च हुये और मुझ प्रार्थी व मेरी पत्नी को भगा दिया। दि. 25-6-18 को विपक्षी सं. 1 व 2 ने प्रार्थी को कृषि कार्य करने हेतु फसल बोने जाने पर रोका और बाधा कारित की गई और कहा कि आपका कोई हक अधिकार नहीं है। इस कारण प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा. पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई। प्रा. पत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित आराजियात प्रार्थी के	

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी
	हक अधिकार, खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण हो सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विपक्षीगण 1 व 2 द्वारा प्रार्थी को कब्जे कास्त की आराजियात से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को असहनीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण 1 लगायत 3 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा तार्फैसला वाद इस आशय की जारी की जावे कि पेरा नं. 2 में वर्णित आराजियात जो प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की होकर उपयोग, उपभोग में चली आ रही है किसी भी तरह की बाधा विपक्षीगण 1 लगायत 3 स्वयं या परिवार के सदस्यो या नोकरो या एजेन्टो से उत्पन्न न करे व न करावे प्रार्थी को दौराने वाद विपक्षीगण 1 लगायत 3 बेदखल कर दे तो कब्जा दिलाया जावे। प्रकरण पंजी बद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन तलब किया जाय। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर [illegible] ([illegible])	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दि० 25-7-18 को विपक्षी नं. 3 ने उप० होकर इकबाली जवाब पेश किया। विपक्षी नं. 4 व 5 दि० 27-8-18 को बावजूद सम्मन तामील उप० नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी नं. 1 व 2 के सम्मन अदम तामील लौटने से पुनः तलबी के आदेश किये गये। दि० 13-2-19 को विपक्षीगण 1 व 2 बावजूद सम्मन तामील उप० नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण अन्तिम बहस में नियत किया गया। दि० 20-8-19 को प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि विपक्षी खातेदार की भूमि हड़पना चाहते है। पिता पुत्र का विवाद है। भूमि पर कब्जा करना चाहते है। विपक्षी सं. 3 ने पिता के पक्ष में इकबाली जवाब पेश किया है। भौतिक रूप से कब्जा खातेदार का ही है अतः दिया जाना उचित है। बहस पर मनन एवं प्रकरण का	

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम ... हुक्म की त... में जारी ...
	अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 ग्राम काडीसहना खाता सं. 739 कुल कित्ता 8 रकबा 2.08 हे० विरासत से देवीलाल s/o हरदेव तेली साकिन देह खातेदार दर्ज है। विपक्षीगण 1 व 2 उसके पुत्र होकर वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करना चाहते हैं जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।	
	आदेश	
	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर विपक्षी नं. 1 व 2 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा तार्फेसला वाद इस प्रकार की जारी की जाती है कि ग्राम काडीसहना प० ह० काडीसहना तह० झाडोल के स्थित आराजियात खाता सं० 739 कित्ता 8 रकबा 2.08 हे में प्रार्थी के उपयोग, उपभोग में किसी भी तरह की बाधा व तर्ददुद उत्पन्न करे, न परिवार के सदस्यो, नौकरो एजेन्टो से ऐसा करावे वादग्रस्त आराजियात से प्रार्थी को किसी भी तरह से वादग्रस्त आराजियात से बेदखल नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी ... सहायक कलेक्टर ... (...)	